

निगम 5295/2018/रीवा भू-प्र
न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर रीवा कैम्प

95

संभाग रीवा (म0प्र0)



आदि श्री विवेक
दा. पेशा 30.8.18

रामसेवक पटेल तनय हरिवंश प्रसाद उम्र करीब 51 वर्ष पेशा खेती निवासी
कैलाशपुर तहसील हनुमना थाना हनुमना जिला रीवा (म0प्र0)

.....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. हिन्डलाल तनय परानू कोल
2. बच्चेलाल तनय परानू कोल
3. मोहन तनय जगन कोल
4. छोहन तनय जगन कोल
5. अवधशरण तनय गुलन्धर पटेल

सभी निवासी कैलाशपुर थाना तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0

.....गैरपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण विरुद्ध निर्णय एवं आदेश माननीय अपर
कलेक्टर रीवा प्रकरण क्रमांक 17/स्व0
निगरानी/अ-19/15-16 आदेश दिनांक 12.02
2018

पुनरीक्षण अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व
संहिता 1959

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण


यह कि आराजी न0 829 रकवा लगभग 29 एकड अंश
रकवा 5.5 एकड मे संहिता की धारा 239 (2) अनुसार बृक्षारोपण किये जाने
हेतु व्यवस्थापन आवेदन प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय तहसीलदार
हनुमना ने विधिवत सुनवाई पश्चात निर्मित नियमो पटवारी, प्रतिवेदन
अनुसार न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 85ए/19/96-97 आदेश दिनांक 18.

92

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R 5295-रीवा/18 जिला-रीवा

राम सेवक पटेल विरुद्ध सिद्धमाल गोहिल

(1)	(2)	(3)
18-12-18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. <u>जितेंद्र वर्मा</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला..... के प्रकरण क्रमांक <u>17/रक/रीवा/31.19/15.16</u> में पारित आदेश दिनांक <u>12.2.18</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>21.1.19</u> को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

